

SHRI JAGJIVAN RAM: Unless there is a specific notice, it is difficult to answer such questions.

MR. SPEAKER: It would be better for him to pass on the information to the hon. Minister.

SHRI JAGJIVAN RAM: If the hon. Member gives details, I will certainly look into it.

परिवार पेंशन योजना में परिवर्तन

* 342. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या अन्न और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परिवार पेंशन योजना में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हा, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

अन्न और पुनर्वासि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). परिवार पेंशन योजना में कार्यपद्धति सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बंती जी से पूछा प्रश्न में ही पूछा था कि यदि आपका परिवर्तन करने का विचार है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय ने संक्षेप उत्तर दिया है

कि परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं । मैं पुनः जानना चाहता हूँ कि यदि आपका परिवर्तन करने का विचार है तो उस की मुख्य बातें क्या क्या हैं ? मैंने इसे अपने प्रश्न के 'ख' भाग में स्पष्ट किया है ।

SHRI BALGOVIND VERMA: We have introduced some procedural changes like (1) making the employers directly responsible for segregating within the provident fund amount the family pension fund contribution and remitting the same to the Family Pension Fund, (2) exclusion of an employee who had attained the age of 58 years at the time of entry to the fund under the purview of this scheme. (3) manner of computation of family pension benefit in case of part-time employees, (4) rounding up of the benefit (5) empowering the Central Commissioner to relax pending disposal of exemption application from the provisions of the scheme and (6) addition of an explanation making the calculation of withdrawal benefit formula specific.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : भ्राय जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसको अन्तिम रूप कब तक दे देंगे ? क्या यह बात सही है कि इसमें फेमिली (परिवार) की परिभाषा बदलने जा रहे हैं, किन्तु किस की इस स्कीम से लाभ मिलेगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जो परिवर्तन किये जायेंगे, वे अल्ती ही किये जायेंगे ताकि लोगों को जो कि इन्कार्ड परस्मय हैं, कठिनाई न हो । जहां तक फेमिली की परिभाषा बदलने की बात है, वह अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम सिंह भाई बर्म : क्या श्रीमन् को यह विदित है कि श्रमिक की 60 वर्ष की उम्र हो जाने पर यह योजना लागू नहीं होती ? 60 वर्ष की उम्र पर रिटायर होने पर उसकी इस का फायदा नहीं मिलता, लेकिन काम करते हुए मर जाने पर उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 60 वर्ष के ऊपर भी हम को लागू करेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह ठीक है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद यह लागू नहीं होता, उसके पहले ही लागू होता है और काम करते हुए मर जाये तो उस की फैमिली को इस से फायदा पहुंचता है ।

श्री राम सिंह भाई बर्मा : 60 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर होने पर भी उसको इसका फायदा मिलता रहे, क्या कोई ऐसी योजना बनायेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इसमें ऐसा है कि जो जितनी उम्र में ज्वाइन करेगा, उसके अनुसार ही उसको फायदा मिलता है। जो जल्दी ज्वाइन करता है, उसको ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है और जहाँ तक पेंशन की बात है—40 रुपये से 150 रुपये तक पेंशन मिलेगी, लेकिन शर्त यही है कि वह कम से कम उम्र में ज्वाइन करे। जितनी जल्दी ज्वाइन करेगा, उसी हिसाब से उसको मिलेगा।

SHRI THA KIRUTTINAN: The other day the hon. Labour Minister stated that the family pension scheme would be extended to those establishments which are covered by the Industrial Disputes Act. I would like to know whether Railways are covered by the Industrial Disputes Act. If

so. I want to know whether the family pension scheme is being extended to the railways also and, if not, why not.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): The hon. Member should realise that the Railways are covered by different schemes of retirement benefits. This is primarily intended to give benefit of pension and insurance to mainly industrial employees who are members of the Provident Fund scheme.

श्री दामोदर पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि फैमिली पेंशन स्कीम के मातहत 60 साल के बाद जो व्यक्ति सर्विस से रिटायर होता है तो क्या वह फैमिली नहीं रह जाता है ? 60 साल तक तो वह फैमिली में रहता है लेकिन बाद में अगर वह जिन्दा रहता है तो उसको इसका बैनिफिट न मिले यह कैसा इंसफ है। अब जीवन में 60 साल के पहले यदि वह मर जाये तब तो फैमिली वालों को बैनिफिट मिले लेकिन बाद में उसके अगर वह जिन्दा रहे तो इसका लाभ न मिले यह एक अजीब चीज है। इस फैमिली पेंशन का बैनिफिट 60 साल के बाद भी मिले इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है ?

SHRI BALGOVIND VERMA: It is a family pension scheme. If he retires, then he will be entitled to get Rs. 4,000 in a lumpsum.

SHRI DAMODAR PANDEY: Pension should be pension.

SHRI BALGOVIND VERMA: It is a family pension scheme. If he dies while working, his family will be entitled to get pension and also an amount of Rs. 1,000 or so. In case he retires, he will be entitled to get Rs. 4,000 in a lumpsum.

श्री रामकंठर : भ्रम और पुनर्वास मंत्री महोदय ने जो परिवार पेंशन योजना बनाई है वह 60 साल के ऊपर के लिए लागू नहीं होती है । अब यह जो चलते फिरते मजदूर है जिनके कि पास न तो अपनी कोई जमीन है और न ही और किसी चीज का सहारा है और जो कि चलते फिरते काम करते हैं उनके लिए भी क्या आप कुछ करने जा रहे हैं ? ऐसे चलते फिरते लोगों के लिए भी क्या कोई इस तरह की परिवार पेंशन योजना लागू की जा रही है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है अभी कोई ऐसी योजना हमारे सामने नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए बतलाया है कि परिवार पेंशन योजना में कार्यपद्धति सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इसके बाद मंत्री महोदय ने एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन के जवाब में बतलाया कि इस फैमिली पेंशन और इन्श्योरेंस का बैनफिट इंडस्ट्रियल इम्प्लॉईज को ही दिया जाता है जिनका कि प्राविडेंट फंड काटते हैं और इस फैमिली पेंशन स्कीम को उन्हीं इंडस्ट्रियल इम्प्लॉईज पर लागू करने का हमारा विचार है । अभी उसका अन्तिम निर्णय नहीं है । मंत्री महोदय ने यह भी बतलाया कि अगर वह रिटायर हो जाता है तो उसे एकमुश्त 4000 रुपये देने का हमारा इरादा है । मैं जानना चाहता हूँ कि पेंशन का मतलब फिर क्या हुआ ? पेंशन का अर्थ है प्रति माह कुछ रुपया मिले, अर्थात् उसके

परिवार के आश्रित लोगों को जब तक जीवित हैं प्रति माह रुपया बतौर पेंशन के मिलता रहे । उसके न रहने के बाद या उसके रहने के बाद माहवार कुछ पेंशन मिलती रहे । आज के जैसे हालात हैं उनमें भ्रक्तर देखा यह जाता है कि बच्चे भागे चल कर भ्रलग हो जाते हैं तो उस हालत में वह और भी जरूरी हो जाता है कि उसे रिटायर होने के बाद इस तरह से एकमुश्त रुपया न मिले जिसे कि वह हो सकता है एकदम खर्च कर दे बल्कि उसे प्रति माह गुजारे लायक कुछ पैसा मिलता रहे तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनके सामने क्या कोई ऐसी योजना विचाराधीन है और उसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस अपने प्रश्न को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगायेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां तक फैमिली पेंशन स्कीम की बात है मैंने पहले ही वह बतलाया है कि इन्श्योर्ड परसन के मर जाने के बाद उसकी फैमिली को 40 रुपये से लेकर 150 रुपये तक प्रति माह पेंशन मिलेगी । यदि उसकी पत्नी जीवित नहीं है तो वह पेंशन उसके बच्चों को मिलती रहेगी जब तक कि वह बालिग न हो जायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने अन्त में पूछा है कि जो विचाराधीन योजना है उसे सरकार अन्तिम रूप देने में कितना समय लगावेगी ? मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में बतलाया है कि परिवार पेंशन योजना में कार्य पद्धति सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन

है तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर मंत्री जी कितना समय लगायेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : मैंने कार्य पद्धति सम्बन्धी कुछ परिवर्तन करने के प्रस्ताव को विचाराधीन बतलाया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उसका विचार कब तक पूरा कर लेंगे ? कितना समय इस पर लगायेंगे ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : उस को हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं । वह समिति के विचाराधीन है ।

Supply of oils for use on light
Machine-Guns

*343. SHRI MAHADEEPAK SINGH
SHAKYA:
SHRI HUKAM CHAND
KACHAWAI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Mineral Hydraulic Buffer Oil supplied by M/s. Valvotive (India) Private Limited to the Defence Department for use on the Light Machine-Gun was found to be useless when used;

(b) if so, the amount of loss suffered by Government on this account; and

(c) whether any action has been taken against the Chief Inspector of the Chief Inspectorate of Materials, Kanpur who had inspected and accepted the oil?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). A statement is laid on the Table of Sabha.

Statement

(a) Mineral Hydraulic Buffer Oil which is used for the recoil system of guns was supplied by M/s. Valvotive (India) Private Ltd. At the time of pre-supply inspection the oil was found acceptable as per specifications governing the contract in question. However, the oil developed a tendency to gelling in storage. The matter was investigated and a simple method has been evolved to rectify this defect to make the oil reusable and a good portion of the available stock has been rectified. The rectification of the balance is in progress.

(b) the cost of rectification of the oil is estimated to be approximately Rs. 75,000. DGS&D has been requested to recover the amount from the supplier.

(c) Sampling of the bulk supply was made by an independent authority, i.e., Inspector of General Stores, Calcutta, and the testing of the samples was done by a different authority, viz., Chief Inspector of Materials, Kanpur, and the samples were found acceptable as per specifications. However, the tendency for gel formation developed only later after storage for over a year. On the basis of investigations carried out by the Defence Inspection Organisation in collaboration with the Research and Development Organisation, a simple method of rectification has been devised and the relevant specifications have also been revised to safeguard against such eventualities in future.

In view of the above position, no action is called for against the Chief Inspector of Materials, Kanpur or the Inspector of General Stores, Calcutta.

श्री महादीपक सिंह शाक्य : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बड़ा सम्पष्ट है । एक तरफ तो आपने इसे स्वीकार भी किया है और एक तरफ इंकार भी किया है । आपने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि इस मामले